

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 04 / 2018 अपील (RCMS/2018/00004)
पंजीयन दिनांक – 09.01.2018
निर्णय दिनांक – 02.04.2019

1. श्री नरेश कुमार पिता श्री शांतिलाल भडकत्या, निवासी सेंती, जिला चित्तौड़गढ़।

– अपीलान्त

बनाम

1. श्री अनिल सिसोदिया पिता श्री भंवरलाल सिसोदिया,
2. श्री अतुल सिसोदिया पिता श्री भंवरलाल सिसोदिया,
3. श्रीमती हेमा सिसोदिया पत्नि श्री अतुल सिसोदिया,
4. श्री ऋषभ सिसोदिया पिता श्री अतुल सिसोदिया
सर्वनिवासीयान नगर परिषद् ऑफिस के सामने, चित्तौड़गढ़ (राज.)
5. नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ जरिये सचिव, नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़।

– रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थिति:–

1. श्री जितेन्द्र जैन – वकील अपीलान्त
2. श्री सम्पतलाल बोहरा – वकील रेस्पोडेंट संख्या-1 से 4
3. श्री नरेश जणवा – वकील रेस्पोडेंट संख्या-5

प्रकरण संख्या-08 / 2014, श्री अनिल सिसोदिया व अन्य में सचिव (प्राधिकृत अधिकारी), नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.04.2017 के विरुद्ध अपील अन्तर्गत धारा 90-क राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 02.04.2019

उक्त अपील अपीलान्त द्वारा सचिव (प्राधिकृत अधिकारी), नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या-08 / 2014, श्री अनिल सिसोदिया व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 10.04.2017 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है–

- राजस्व ग्राम सेंती पटवारी हल्का सेंवी जिला चित्तौड़गढ़ के आराजी नम्बर 1026, 2526 / 27, 1027मी., 1025, 2527 / 1028, 1028मी, 2525 / 1028, 2006 / 1025,

2007/1028मी कुल किता-9 रकबा 1.06 हैक्टर कृषि भूमि का आवासीय प्रयोजन हेतु रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 4 ने भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ समक्ष खातेदार अधिकार समर्पण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क के अन्तर्गत कृषि भूमि का गैर कृषि भूमि प्रयोजनार्थ दिनांक 01.08.2014 को आदेश पारित किया गया।

- प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ के निर्णय दिनांक 01.08.2014 के विरुद्ध अपीलान्ट द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील प्रस्तुत की गई। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा प्रस्तुत अपील का क्षेत्राधिकार में न होने एवं अपीलान्ट के हितबद्ध व्यक्ति न होने के आधार पर प्रस्तुत अपील को सारहीन मानते हुए अपने निर्णय दिनांक 15.04.2015 से अपील अपीलान्ट खारिज की और अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 01.08.2014 को बहाल रखा गया।

- अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर के निर्णय दिनांक 15.04.2015 से असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर समक्ष रिट संख्या 11319/2015 प्रस्तुत की गई जिसे स्वीकार करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई कर नवीन निर्णय पारित किये जाने हेतु इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया।

- माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के प्रदत्त निर्देशों की पालना में प्रकरण संख्या-12/2016 दर्ज कर उभय पक्षों को सुना गया। न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 05.09.2016 से प्रार्थी श्री नरेश कुमार द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार किया गया और निर्णय में वर्णित विवेचनानुसार एवं दर्शाये गये तथ्यों के आधार पर नये सिरे से नियमानुसार निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण सचिव, नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ को प्रतिप्रेषित (Remand) किया गया।

- न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के निर्णय दिनांक 05.09.2016 के अनुपालना में प्रकरण संख्या-08/2014 दर्ज कर उभय पक्षों को सुनवाई हेतु सूचित किया गया। सम्बन्धित अधिकारियों से संयुक्त मौका निरीक्षण कराया जाकर मौका रिपोर्ट प्राप्त की। प्रकरण के तथ्यों, अभिलेखों एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 28.03.2017 के अनुसार न्यास द्वारा पारित राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-90क के तहत आवेदकों (रेस्पोंडेंट संख्या-1 से 4) के स्वयं की अंकित खातेदारी में अंकित भूमि के संबंध में पारित आदेश दिनांक 01.08.2014 विधि सम्मत मानते हुए सचिव (प्राधिकृत अधिकारी), नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ द्वारा आदेश दिनांक 10.04.2017 पारित किया गया। आदेश दिनांक 10.04.2017 के प्रासंगिक अनुच्छेद निम्न प्रकार से है-

“ग्राम सेंटी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ की पैरा 1 में वर्णित आराजी कुल किता 9 क्षेत्रफल 1.60 हैक्टेयर आवेदकों की स्वयं की खातेदारी की होकर आवेदकों ने अपनी खातेदारी भूमि के ही आवेदन प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष पेश किया। इस आराजी के अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हेतु आपत्ति बाबत लोक सूचना जारी कर प्राप्त आपत्ति का विधिवत सुनवाई कर निस्तारण कर राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के तहत कार्यवाही कर भूमि न्यास के नाम दर्ज की गयी। आवेदित भूमि का योजना मानचित्र निर्धारित न्यास की योजना मानचित्र अनुमोदित समिति द्वारा प्रावधानानुसार 60:40 के अनुपात को दृष्टिगत रखते हुए अनुमादित किया जाकर निर्धारित राशि जमा होने पर पट्टा विलेख जारी किये गये हैं। न्यास के सहायक अभियन्ता, उप नगर नियोजक, क. अभियन्ता एवं राजस्व निरीक्षक के संयुक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार प्लान में उत्तर दिशा की ओर 60 फीट रोड़ बताया गया है जिसमें आराजी नम्बर 1026, 1025, 1024, 2066/1025 में से होते हुए 30 फीट जो प्लान में अनुमोदित होकर आवेदकों की खातेदारी की है व उत्तर में 30 फीट अन्य आराजी 1021/1983, 1020, 1021, 1022, 1023 में से बताई गयी है जो अन्य खातेदारों की है, आवेदित भूमि में कोई कुआ नहीं है। अपीलार्थी का इस आराजी में से कोई संबंध नहीं है। आवेदकगण की आवेदित खातेदारी भूमि का ही रूपान्तरकरण किया गया है, भा.रा.रा.प्राधिकरण के नाम अंकित किसी भी भूमि का रूपान्तरण नहीं किया गया है। मौके पर पूर्ण रिपोर्ट अनुसार ही उक्त रूपान्तरित भूमि रिक्त है, व रूपान्तरित भूमि में प्लान अनुसार केवल सड़क निर्मित है।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेखों एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 28.03.2017 के अनुसार न्यास द्वारा पारित राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के तहत आवेदकों के स्वयं की खातेदारी में अंकित भूमि के संबंध में पारित आदेश दिनांक 01.08.2014 विधि सम्मत होने से जमा राशि पट्टा विलेख जारी किए जा चुके हैं जिससे अब इस प्रकरण किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।”

सचिव (प्राधिकृत अधिकारी), नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.2017 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट्स को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित जिनकी बहस दिनांक 26.03.2019 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्त ने अपील में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत पूर्व के प्रकरण संख्या 12/2016 के कथनों को दोहराते हुए मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि उक्त रूपान्तरण की कार्यवाही हल्का पटवारी द्वारा मूल नक्शे के विपरीत है मूल नक्शों में विभाजन किये जाने का कोई अकंन नही है। रेस्पोंडेंट संख्या 5 के कार्यालय में प्रस्तुत पत्रावली में जो राजस्व नक्शा पटवारी द्वारा दिनांक 02-07-2014 को जारी किया गया है जिसमें आराजी संख्या 1025, 1026, 1028 एवं 1030 के टुकड़े दर्शाये गये है जबकि हल्का पटवारी के मूल नक्शे में इस प्रकार की कोई तरमिमात नही है। प्रमाण हेतु हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 05-10-2014 को जारी नक्शे की प्रमाणित किये की फोटोकॉपी देखी जा सकती है। इतना ही नही आराजी नम्बर 1025, 1026, 1027, 1028 में से 1026 का सम्पूर्ण रकबा 0.09 हे. तथा आराजी नम्बर 1025 में से 0.02 हे. तथा आराजी नम्बर 1028 में से 0.01 हे. कुल 0.21 हे. भूमि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग अधिनियम नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 19.08.2013 के तहत चित्तौड़गढ़ से प्रतापगढ़ जाने वाले नेशनल हाईवे के लिय अवाप्तशुदा भूमि हैं जिसे भी अप्रव्ड प्लॉन में सम्मिलित कर उसे

अनुमोदित किया जाकर प्रत्यर्थागण को अनुचित लाभ पहुंचाया गया हैं। इस प्रकार जो रूपान्तरण कार्यवाही रेस्पोंडेंट संख्या-5 द्वारा की गई है वह निरस्त योग्य है। इस प्रकार प्रत्यर्था संख्या 5 द्वारा पारित आदेश 01-08-2014 नियम विरुद्ध होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

इसी प्रकार आराजी नम्बर 1028/1954 रकबा 0.10 हैक्टेयर राजस्व नक्शे में आम रास्ता दर्शाया गया हैं उसे भी इस अप्रव्ड प्लॉन में सम्मिलित किया गया, उक्त भूमि एवं अन्य खातेदारो की भूमि को हडपने हेतु गलत प्लॉन अप्रव्ड कराया गया है। आराजी संख्या 1029 में प्राकृतिक पेयजल स्रोत कुआ स्थित है जिसमें अथाह जलराशि उपलब्ध होने से उसे छोड़ते हुए रूपान्तरण की कार्यवाही किया जाना न्याय संगत होता जा नही किया गया है।

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के निर्णय की अनुपालना में रेस्पोंडेंट संख्या-5 द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया परन्तु अपीलान्त को पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। संयुक्त मौका निरीक्षण दिनांक 28.03.2017 से पूर्व अपीलार्थी को कोई सूचना नहीं गई, अधिसूचना दिनांक 19.08.2013 के तहत आराजी नम्बर 1028 के सम्बन्ध में कोई मौका निरीक्षण नहीं किया गया। अपीलार्थी की भूमि में सड़क का निर्माण कर दिया है जो अपीलार्थी के हक-हकुक के विपरित है। अपीलार्थी द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा नम्बर-1031 को कभी भी कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ आवेदन नहीं किया है परन्तु रेस्पोंडेंट संख्या-5 द्वारा रूपान्तरण सम्बन्धी कार्यवाही एवं प्लान स्वीकृत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा निर्णय दिनांक 10.04.2017 को पारित किया गया जिसकी जानकारी समय पर नहीं होने से प्रष्णगत अपील देरी से प्रस्तुत पर अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मयाद अधिनियम का पेश किया। उपरोक्त परिस्थितियों के आधार पर अपीलार्थी द्वारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 10.04.2017 को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया है।

रेस्पोंडेंट संख्या-1 से 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने लिखित व मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि राजस्व ग्राम सेंती पटवारी हल्का सेवी जिला चित्तौडगढ के आराजी नम्बर 1026, 2526/27, 1027मी., 1025, 2527/1028, 1028मी, 2525/1028, 2006/1025, 2007/1028मी कुल किता-9 रकबा 1.6000 हैक्टर कृषि भूमि प्रत्यर्था संख्या 1 से 4 ने अपनी इस भूमि के संबंध में धारा 90-क के तहत कार्यवाही करने हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन किया गया। सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार समाचार पत्रों के माध्यम से आपत्तियाँ आमंत्रित की गई तथा प्रत्यर्थागणों ने अपने आवेदन पत्र के साथ सरेन्डर डीड खाते की नकले, शपथ पत्र अनुबन्ध पत्र आदि पेश किये तथा प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर दिनांक 01.08.2014 को धारा 90-क के तहत उक्त

आराजीयात 1026, 2526/27, 1027मी., 1025, 2527/1028, 1028मी, 2525/1028, 2006/1025, 2007/1028मी कुल किता-9 रकबा 1.6000 हैक्टर आदेश पारित किया गया।

अपीलान्ट को अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलान्ट हितबद्ध व्यक्ति नहीं है। वह धारा-90-क(9) के अनुसार एग्रीड व्यक्ति होना आवश्यक है, जब तक एग्रीड व्यक्ति नहीं हो अपीलान्ट को अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलान्ट ने अपील आराजी नम्बर 1031 का वर्णन किया है जबकि धारा 90-क के तहत प्रत्यथीगण के स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी आराजीयात की ही 90-क की कार्यवाही की गई। आराजी संख्या-1031 के सम्बन्ध में 90-क की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अपीलान्ट को अपील पेश करने का कोई कानूनन अधिकार नहीं है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील इसी आधार पर काबिल निरस्त के है। इस संबंध में आरबीजे 2014 पेज 97 पर राजस्व मण्डल राजस्थान में तय किया हैं। इसी प्रकार इसी बिन्दु को आरबीजे 2014 पेज 388, आरबीजे 2011 पेज 643, आरबीजे 2011 पेज 510, आरबीजे 2012 पेज 284 आदी पर राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी तय किया गया है।

जिन आराजीयात के संबंध में धारा 90-क के कार्यवाही की गई है। उनसे अपीलान्ट का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। उन आराजीयात के संबंध में अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार ही नहीं है जिस आराजीयात की 90-क की कार्यवाही नहीं की गई वह अपीलान्ट की जमीन है। जिसके आराजी नम्बर 1031 है तथा उस जमीन में अपीलान्ट ने 0.0900 हैक्टर अधिक भूमि पर कब्जा है उसमें से मौके पर अपीलान्ट का खाते से भी 0.0900 हैक्टर अधिक भूमि पर कब्जा है उसमें से केवल 0.0200 हैक्टर पर रोड बनी है उसके अलावा भी अपीलान्ट का 0.0700 हैक्टर पर अधिक कब्जा है। उस नाजायज कब्जे को हटाने की कार्यवाही अलग से की जावेगी परन्तु अपीलान्ट का जिन आराजीयात के संबंध में 90-क की कार्यवाही की गयी उन आराजीयात से अपीलान्ट का कोई संबंध नहीं है। रेस्पोंडेंट की जमीन का आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु रूपान्तरण करवाया गया जिसकी मौके की स्थिति का सही मुआयना किया गया है, अपीलान्ट को उसकी जमीन से कही पर भी वंचित नहीं किया गया है।

मामला रिमाण्ड होने के बाद नगर विकास प्रन्यास द्वारा सुनवाई हेतु दोनों पक्षों को सूचित किया गया जिस पर अपीलान्ट नगर विकास प्रन्यास कार्यालय में उपस्थित हुए और साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत करने का मौका अवसर चाहा गया, जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से की जा सकती है। परन्तु अपने कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं होने की स्थिति में अपीलान्ट द्वारा जानबुझ कर बाद की पेशीयों में उपस्थित नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही कराते हुए वादग्रस्त भूमियों का संयुक्त मौका निरीक्षण करा रिपोर्ट प्राप्त की गई और आदेश दिनांक

10.04.2017 को पारित किया गया। उक्त मौका रिपोर्ट में सभी तथ्यों का पूर्ण विवेचन किया गया है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विप्लेषण कर आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश की जानकारी अपीलान्त को आरम्भ से ही थी, परन्तु जानबुझकर अपील का अधिकार नहीं होते हुए भी देरी से अपील प्रस्तुत की जिसके पर्याप्त कारण नहीं होने से अपील मयाद के बिन्दु पर ही निरस्त योग्य है।

जो नक्शा नगर विकास प्रन्यास द्वारा अनुमोदित किया गया है, उसे अपीलान्त द्वारा कभी सक्षम न्यायालय में निरस्त नहीं कराया गया क्योंकि वह नक्शा नियमानुसार अनुमोदित किया गया है। रेस्पोंडेंट संख्या-5 द्वारा नियमानुसार धारा 90-क की कार्यवाही की गई, जिसमें किसी भी प्रावधान की अनदेखी नहीं की गयी है। एन.एच.ए.आई. की अवाप्तशुदा भूमि में भी रेस्पोंडेंट का कोई सम्बन्ध नहीं है, इसका उल्लेख भी मौका रिपोर्ट दिनांक 28.03.2017 में किया गया है तथा जो जमीन संपरिवर्तित की गई है तथा उसके पट्टे अनुमोदित प्लान के अनुसार जारी किए गए हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जावें। अपने कथन के समर्थन में विद्वान वकील रेस्पोंडेंट संख्या-1 से 4 द्वारा न्यायिक दृष्टांत (RBJ 2011 P.643, RBJ 2011 P.510, RBJ 2013 P.197, RBJ 2014 P. 97, RBJ 2014 P.388, RJB 2010 P. 628, RBJ 2010 P. 624, RBJ 2010 P. 289, RBJ 2012 P. 283) पेश किए।

विद्वान वकील रेस्पोंडेंट संख्या-5 ने वकील रेस्पोंडेंट संख्या-1 से 4 तक के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस का समर्थन करते हुए बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ द्वारा 90-क की कार्यवाही के दौरान समस्त नियमों एवं विधिक प्रक्रियाओं को अक्षरशः पालन किया गया, उसमें कोई चुक भी नहीं हुई है। संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परिक्षण कर आदेश पारित किया गया है। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के निर्णय दिनांक 05.09.2016 के अनुपालना में प्रकरण संख्या-08/2014 दर्ज कर उभय पक्षों को सुनवाई हेतु सूचित किया गया। सम्बन्धित अधिकारियों से संयुक्त मौका निरीक्षण कराया जाकर मौका रिपोर्ट प्राप्त की। प्रकरण के तथ्यों, अभिलेखों एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 28.03.2017 के अनुसार न्यास द्वारा पारित राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-90क के तहत आवेदकों (रेस्पोंडेंट संख्या-1 से 4) के स्वयं की अंकित खातेदारी में अंकित भूमि के संबंध में पारित आदेश दिनांक 01.08.2014 विधि सम्मत मानते हुए सचिव (प्राधिकृत अधिकारी), नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ द्वारा आदेश दिनांक 10.04.2017 पारित किया गया। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ पारित आदेश दिनांक 10.04.2017 बहाल रखाये जाने का निवेदन किया।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट संख्या-1 से 4 द्वारा

आवेदन करने उपरान्त प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ द्वारा आदेश दिनांक 01.08.2014 से उपरोक्त आराजीयात के आवासीय प्रयोजन के लिये उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान की। अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ द्वारा 90-क की कार्यवाही के दौरान समस्त नियमों एवं विधिक प्रक्रियाओं को अक्षरशः पालन किया गया। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के निर्णय दिनांक 05.09.2016 के अनुपालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या-08/2014 दर्ज कर उभय पक्षों का अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया परन्तु अपीलान्त द्वारा अपने कथनों के पक्ष में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए। सम्बन्धित अधिकारियों से संयुक्त मौका निरीक्षण कराया जाकर मौका रिपोर्ट प्राप्त की। संयुक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार प्लान में उत्तर दिशा की ओर 60 फीट रोड बताया गया है जिसमें आराजी नम्बर 1026, 1025, 1024, 2066/1025 में से होते हुए 30 फीट जो प्लान में अनुमोदित होकर आवेदकों की खातेदारी की है व उत्तर में 30 फीट अन्य आराजी 1021/1983, 1020, 1021, 1022, 1023 में से बताई गयी है जो अन्य खातेदारों की है, आवेदित भूमि में कोई कुआ नहीं है। अपीलार्थी का इस आराजी में से कोई संबंध नहीं है। आवेदकगण की आवेदित खातेदारी भूमि का ही रूपान्तरकरण किया गया है, भारारा. प्राधिकरण के नाम अंकित किसी भी भूमि का रूपान्तरण नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तथ्यों के अवलोकन एवं विश्लेषण से यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण में धारा-90क की कार्यवाही सम्पादित करने से पूर्व न्यायालय हाजा के निर्णय, 90क के नियमों एवं निर्देशों की पूर्ण पालना की गई। सम्बन्धित अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त प्रस्तुत दस्तावेजों का परिक्षण कर आदेश दिनांक 10.04.2017 को पारित किया गया, जो विधि सम्मत प्रतीत होता है। जिससे हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाती है। प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, चित्तौड़गढ़ का आदेश दिनांक 10.04.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 02.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर